

18/8
25

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व वादी को आवाज लगाई गई। बार-बार आवाज लगाने के बावजूद भी वकील वादी व वादी न्यायालय में हाजिर नहीं होने पर वादी का वाद अहम हाजरी अदम परवी में खारिज किया जाता है पत्रावली फसल शुमार होकर बम्बर कम होकर दाखिल दफतर हो।



उपखण्ड अधिकारी
द्वारा रामगढ़